रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30112021-231486
CG-DL-E-30112021-231486

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4535] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 30, 2021/अग्रहायण 9, 1943
No. 4535] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 30, 2021/AGRAHAYANA 9, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2021

का.आ. 4904(अ).—यतः, मै. अदानी पोर्ट्स एवं स्पेशल इकोनोमिक जोन लिमिटेड (पूर्व मै. मुन्द्रा पोर्ट एवं स्पेशल इकोनोमिक जोन लिमिटेड), ने गुजरात राज्य में कच्छ जिले के मुन्द्रा तालुक में एक बहुउत्पाद विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यतः केन्द्र सरकार ने मै. मुन्द्रा पोर्ट एवं स्पेशल इकोनोमिक जोन लिमिटेड से मै. अदानी पोर्ट्स एवं स्पेशल इकोनोमिक जोन लिमिटेड नाम में परिवर्तन के प्रस्ताव को स्वीकृत किया था;

और, यतः केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्रों वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के राजपत्र सं. का.आ. 1365(अ) दिनांक 27 मई, 2009, का.आ. 583(अ) दिनांक 26 मार्च, 2012, का.आ. 1443(अ) दिनांक 31 मई, 2013 तथा का.आ. 3379(अ) दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 को समेकित कर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के राजपत्र सं. का.आ. 3029(अ) दिनांक 21 सितम्बर, 2016 के तहत उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में 8481.2784 हेक्टेयर के क्षेत्र को पुन: अधिसूचित और तत्पश्चात राजपत्र सं. का.आ. 2452(अ) दिनांक 4 जुलाई, 2019 के तहत उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में से 46.6894 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित किया था;

और यतः, मै. अदानी पोर्ट्स एवं स्पेशल इकोनोमिक जोन लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से 151.8220 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, गुजरात सरकार ने उनके पत्र सं. आईसी/इन्फ्रा/एसईजेड/एनओसी/ 1760233 दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 के तहत प्रस्ताव को सहमति दे दी है;

और यतः, विकास आयुक्त, एपीएसईजेड, ने विशेष आर्थिक जोन के 151.8220 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है तथा डेवलपर के आवेदन पत्र दिनांक 02 मार्च, 2021 के अनुसार अनधिसूचित भूमि का उपयोग औद्योगिक उद्देश्यों (कच्चे तेल टर्मिनल) के लिए किया जाएगा;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा गुजरात राज्य में कच्छ जिले के मुन्द्रा तालुका में विशेष आर्थिक जोन में से 151.8220 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 8282.7670 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचित क्षेत्र हेतु नीचे तालिका में दिए गए सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्र शामिल है, अर्थात्: –

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम. सं.	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1.	मुन्द्रा	जीएमबी/जीएपीएल लैंड (ओल्ड भारत सॉल्ट लैंड)	151.8220
कुल			151.8220
उपयुक्त घटाव के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			8282.7670

[फा. सं. एफ.1/12/2016-एसईजेड]

विपुल बंसल, सयुंक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2021

S.O. 4904(E).—Whereas, M/s. Adani Ports and Special Economic Zone Limited (formerly M/s. Mundra Port and Special Economic Zone Limited), had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Multi Product Special Economic Zone at Mundra Taluka, District Kutch, in the State of Gujarat;

AND, WHEREAS, the Central Government approved the request of change of name from M/s. Mundra Port and SEZ Limited to M/s. Adani Ports and Special Economic Zone Limited;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had re-notified an area of 8481.2784 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 3029(E) dated 21st September, 2016 by consolidating all the Special Economic Zones notified earlier vide Notification Nos. S.O.1365(E) dated 27th May, 2009; S.O. 583(E) dated 26th March, 2012; S.O. 1443(E) dated 31st May, 2013 and S.O. 3379(E) dated 11th December, 2015 and subsequently de-notified an area of 46.6894 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 2452(E) dated 4th July, 2019;

AND, WHEREAS, M/s. Adani Ports and Special Economic Zone Limited has now proposed for de-notification of 151.8220 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Gujarat has given its approval to the proposal vide letter No. IC/INFRA/SEZ/NOC/1760233 dated 28th October, 2021;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, APSEZ has recommended the proposal for de-notification of an area of 151.8220 hectares of the Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled and the de-notified land will be utilized for industrial purposes (Crude Oil terminal) as per Developer's application form dated 02nd March, 2021;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby partial de-notifies an area of 151.8220 hectares at Mundra Taluka, District Kutch, in the State of Gujarat, thereby making resultant area as 8282.7670 hectares. The Survey numbers and the area for de-notification are given below in the table, namely: -

TABLE FOR DE-NOTIFICATION AREA

Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Total area in Hectares
1.	Mundra	GMB/GAPL LAND (Old Bharat salt land)	151.8220
Total			151.8220
Grand Total Area of SEZ after above deletion			8282.7670

[F. No. F.1/12/2016-SEZ]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.11.30 19:16:09 +05'30'